पेंशन

पेंशन अधिनियम 1871 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन अतीत की सेवा के प्रतिफल के रूप में संरक्षित भुगतान है। इसलिये पेंशन भोगी को स्वेच्छाचारिता से पेंशनरी स्वत्वों से वंचित नहीं रखा जा सकता। पेंशन भावी सदाचार के आधार पर देय है; इस दृष्टि से कदाचार के आधार पर पेंशन की राशि नियम विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये कम या रोकी जा सकती है ।

तात्पर्य –

1.1 पेंशन मासिक आवर्ती भुगतान है, जो शासकीय सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर, भुगतान योग्य होता है ।

1.2 पेंशन–कारक –

निम्नांकित तीन कारक पेंशन की गणना में महत्वपूर्ण होते हैं :–

शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा की अवधि;

पेंशन हेतु गणना में शामिल की जाने वाली उपलब्धियां और सेवानिवृत्ति दिनांक पर लागू पेंशन गणना का सूत्र।

1.3 अर्हतादायी सेवा – (म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 का नियम 12 से 29)

सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा की अवधि पर पेंशन की राशि आधारित होती है। अर्हतादायी सेवा निकालने के लिये कुल सेवा–अवधि में निम्नलिखित अवधियों को जोड़ा जाता है–

1. परिवीक्षा अवधि,यदि कोई हो।

2 निलंबन काल, यदि कर्तव्य अवधि माना गया हो।

3 असाधारण अवकाश पूरे सेवाकाल में केवल 120 दिन की सीमा के अधीन।

4 राज्य शासन के अधीन एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के लिये कार्यग्रहण काल की अवधि।

5 संविलियन के मामलों में पेंशन का पूंजीकृत मूल्य अथवा अंशदायी भविष्य निधि की नियोक्ता अंशदान की ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि, जैसी भी स्थिति हो, जमा करने पर संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि।

6 यदि राज्य शासन के अधीन कार्यरत रहते हुये एक विभाग से दूसरे विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्ति हुई है और ऐसी नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रेषित कराते हुये अनुमति ली गई है, तो पूर्व विभाग की सेवा अवधि।

7 अनुज्ञेय पेंशन नियमों के अधीन की गई शिशिक्षु सेवा/सामान्यतः शिशिक्षु के रूप में सेवा अर्हतादायी नही है।

8 संविदा पर नियुक्त और बिना किसी व्यवधान के उसी अथवा अन्य पद पर नियमित हैसियत में पेंशन योग्य सीपना पर नियुक्त होने पर सशर्त संविदा अवधि।

9 अर्हतादायी सेवा की अधिकतम अवधि 33 वर्ष अर्थात् 66 छमाही पेंशन के लिये मान्य है।

अर्हतादायी कुल सेवा में से निम्नांकित अवधि पेंशन के लिये मान्य नहीं होतीः–

बाल्य सेवा अवधि (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की गई सेवा);
प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा;
120 दिनों से अधिक लगातार असाधारण अवकाश जो उचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है (ऐसे प्रकरणों में 120 दिन ही अर्हतादायी सेवा के रूप में मान्य किये जावेंगे और शेष अवधि पेंशन के लिये अर्हतादायी नहीं होगी);
अवकाश से अधिक रूकने की अवधि;
पदग्रहण काल से अधिक रूकने की अवधि;
अन्य व्यवधान, जो अनर्हतादायी घोषित किये गये हों और
ऐसा निलंबन काल, जो कर्तव्य अवधि न माना गया हो।

टीप 1–शासकीय सेवक का त्यागपत्र

यदि किसी शासकीय सेवक द्वारा नियमानुसार नोटिस दिये बिना सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा त्यागपत्र देने के फलस्वरूप पिछली समस्त सेवा का हरण हो जाने से पेंशन की पात्रता नहीं रहती है।

(पेंशन नियम 42)

टीप 2– डुप्लीकेट सेवापुस्तिका एवं जन्मतिथि की मान्यता –

डुप्लीकेट सेवापुस्तिका एवं जन्मतिथि की मान्यता के अधिकार अब संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/कलेक्टर को प्रत्यायोजित कर दिये गये है। डुप्लीकेट सेवापुस्तिका की मान्यता के लिए प्रस्ताव वही अधिकारी देगा जिसके अधिकार में कर्मचारी की सेवापुस्तिका रखी जाती है। जन्मतिथि की मान्यता के मामले में प्रशासकीय विभाग अपने अधीनस्थ सक्षम अधिकारी को नामांकित करेंगे ।

2. सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका की मान्यता संभाग/जिला पेंशन अधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा प्रदान की जायेगी। (म0प्र0 शासन वित्त विभाग का एफ–18–2/2011/ई/चार दिनांक 30.07.2011

अर्हतादायी सेवा का प्रारंभ –

शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उस तिथि से प्रारंभ होती है, जिस तिथि को वह पहली बार स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से नियुक्त हुआ है, एवं कार्यभार ग्रहण करता है ।

1.4

टीप – मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक जी/29/1/95/चार दिनांक 26.8.95 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्ति यदि नियमित पद के विरूद्ध हुई हो और बिना किसी व्यवधान के उस पर नियमितीकरण किया गया हो, तो यह सेवा पेंशन प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा है । तदर्थ रूप से पदोन्नति की कालावधि भी पेंशन प्रयोजन के लिये अर्हक सेवा है।

सेवा का हरण –

शासकीय सेवक के सेवा अथवा पद से पदच्युति और पृथक्करण उस सेवा का स्वतः ही हरण कर देते है । परन्तु बाद में अपील या अन्य किसी कारण से पुनर्स्थापना होने पर पदच्युति; पृथक्करण और पुनर्स्थापन के बीच की अवधि सहित सेवा अर्हतादायी सेवा के रूप में मान्य है। इसी प्रकार सेवा अथवा पद से त्याग पत्र, पूर्व सेवा का हरण कर देता है. परन्तु राज्य शासन के अधीन 1.5 किसी अन्य पद, जिसकी सेवाएं अर्हतादायी हो तथा उचित अनुमति से आवेदन करने पर नियुक्ति ग्रहण करने के लिये त्याग पत्र दिया गया हो, तो पूर्व सेवाओं का हरण नहीं होगा ।

टीप 1.– वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.बी.25/6/95/पी. डब्ल्यू. सी/ चार दिनांक 20.10.95 के द्वारा पेंशन नियम 28 में संशोधन किया गया है, अब संशोधन के फलस्वरूप सेवापुस्तिका में प्रतिकूल विनिर्दिष्ट ''उपदर्शन के अभाव में सरकार के अधीन किसी शासकीय सेवक द्वारा बार की गई सिविल सेवा के बीच में व्यवधान स्वयमेव दोषमार्जित माना जायेगा तथा व्यवधान पूर्व सेवा अर्हतादायी सेवा मानी जाएगी।

1.6 वर्ष के भाग की गणन

अर्हतादायी सेवा पूर्ण अर्ध वर्ष (छः माह) अवधि में व्यक्त की जाती है। इस हेतु किसी अर्ध वर्ष के तीन माह और उससे ऊपर की अंशावधि को पूरा अर्ध वर्ष माना जाता है. वर्ष के भाग को पेंशन की अर्हतादायी सेवा के लिये निम्न प्रकार से लिया जाता है।

वर्ष का खण्ड भाग	पूर्ण अर्ध वर्ष/छः माही
3 माह से कम	निरंक
3 माह और अधिक किन्तु 9 माह से कम	एक
9 माह और अधिक	दो

उदाहरण के लिये :–

(1)	30 वर्ष 2 माह 25 दिन	60 अर्ध वर्ष/ छः माही
(2)	31 वर्ष 3 माह	63 अर्ध वर्ष/ छः माही
(3)	31 वर्ष 5 माह 17दिन	63 अर्ध वर्ष/ छः माही
(4)	31 वर्ष 9 माह	64 अर्ध वर्ष/ छः माही
(5)	31 वर्ष 10 माह 27 दिन	64 अर्ध वर्ष/ छः माही

यदि किसी शासकीय सेवक की अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष से अधिक होती है तो

उसे पेंशन और उपादान के लिये 33 वर्ष तक सीमित कर दिया जाता है अर्थात् अधिकतम 66 अर्ध वर्ष ।

पेंशन हेतु गणना में ली जाने वाली उपलब्धियां –

(म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 का नियम 30)

पेंशन के उद्देश्य के लिये उपलब्धियों से अभिप्रेत मूलभूत नियम 9 (21) (ए) (प) में परिभाषित मूल वेतन से है जिसमें मौलिक वेतन, विशेष वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन शामिल है। उपदान सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर तथा पेंशन सेवा के अंतिम दस माह में प्राप्त औसत उपलब्धियों के आधार पर संगणित की जाती है। औसत उपलब्धियों के प्रयोजन के लिए द्विभाषी भत्ते को भी गणना में लिया जाता है।
1–1–06 एवं उसके पश्चात पेंशन के उद्देश्य के लिए उपलब्धियों से आशय अंतिम माह का मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) है।

1.8 पेंशन पुनरीक्षण –

किसी शासकीय सेवक, उसकी सेवानिवृत्ति के समय प्रभावशील राज्य शासन के नियमों द्वारा नियन्त्रित होता है. समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण किया जाता है ।